Form No.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

थानसिंह वगै. बनाम उदयसिंह वगै.

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र धारा 212 RTA नं. 55 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 189

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। हमने वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र से जारी की जाती है कि विवादित आ.ख.नं. 131 रकबा 1.00 हैक्टे. वाके ग्राम अईपुर तह. भुसावर जिला भरतपुर में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6, आगामी तारीख पेशी 23.06.2025 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में नियत दिनांक को उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. होवें। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर ज़रिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होवें। नियत दिनांक से पूर्व आदेशानुसार तलवी हेतु तलवाना पेश नही पेश करने पर जारी शुदा स्थगन स्वतः ही खारिज समझा जावेगा। कैफियत पालनार्थ तहसीलदार, भुसावर व उपजीयक भुसावर को भेजी जावें। पत्रावली दिनांक 23.06.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	
09.06.25	आज यह पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्रावली तलब बाबत पेश करने पर पेश हुई जो शामिल रखा हो। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र 212 RTA Not Press किया जाता हो — — आज्ञानुसार	

Not press
[signature]

प्रार्थी के वकील प्रार्थना-पत्र को आगे
आगे नहीं चलाना चाहते हैं।
अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी Not
Press के कारण खारिज किया
जाता है तथा दिनांक 22.05.25 को
जारी स्थगन निरस्त किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा
निकास हो तथा सामान्य दर्ज बाद
हो।

[signature]
राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)